



कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)



अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल : cfwkum-forest-uk@nic.in.

पत्रांक- 503 / 12-1

हल्द्वानी, दिनांक, सितम्बर, १८,

2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद चम्पावत के हल्द्वानी वन प्रभाग के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी के स्वीकृति (FC) पुर्नप्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपकी पत्र संख्या-722/FP/UK/MIN/154581/2021 दिनांक-13.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 16.08.2022 से लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय की पत्र संख्या 329/12-1 दिनांक 06.09.2022 से बिन्दुवार प्रतिउत्तर आपको प्रेषित किया गया। जिसके कम में संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त प्रतिउत्तर के बिन्दु संख्या ii के उप बिन्दु d में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणी अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस हेतु प्रभागीय वनाधिकारी हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक 734/12-1 दिनांक 26.09.2022 से आपत्ति का निराकरण कर आख्या इस कार्यालय में प्रेषित की गयी है, जो निम्नानुसार है:-

आपत्ति	प्रतिउत्तर
d- As the area is located at a distance of approximately 3 km (1.60 km aerial distance) from the boundary of Dudwa-Lagga_Bagga-Philibhit Tiger Corridor, comments of the Chief Wildlife Warden on the proposed proposal may be obtained by the State and the same may be submitted for the Ministry for consideration.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 568/12-1 दिनांक 16.09.2022 से दुधवा-लगा-बग्गा-पीलीभीत टाईगर कॉरीडोर के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नों के सादर सेवा में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक

503

उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनके पत्रांक-734/12-1 दिनांक 26.09.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)

वन संरक्षक

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

26-9-22



तिकाोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक 734 /12-1 हल्द्वानी, दिनांक 26 /09/2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:- जनपद चम्पावत के अन्तर्गत शारदा नदी से उपखनिज चुगान हेतु 384.69 है० का उत्तराखण्ड वन विकास निगम को 10 वर्षों की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्रांक-722 /FP/UK/MIN/154581/2021 दिनांक-13.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण में उठायी गयी विन्दु संख्या-ii के उपविन्दु -d के संबंध में उठायी गयी आपत्ति का निराकरण कर संकलित सूचना निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

<p>d- As the area is located at a distance of approximately 3 km (1.60 km aerial distance) from the boundary of Dudwa-Lagga_Bagga-Philibhit Tiger Corridor, comments of the Chief Wildlife Warden on the proposed proposal may be obtained by the State and the same may be submitted for the Ministry for consideration.</p>	<p>प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)/ मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या-568/12-1 दि०-16.09.2022 द्वारा दुधवा-लगगा-बग्गा-पीलीभीत टाईगर कॉरिडोर के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-1)</p>
---	--

ग्रा० चि०

व० प्र०

अतः रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बाबू लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

<p>कार्यालय वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त नैनीताल संलग्नक सं०... 1813 पत्र सं०... 12-1 दिनांक... 26-9-22</p>

E-mail



कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

65 राजपुर रोड, देहरादून, फोन नं० 0135-2742084 फैक्स नं० 0135-2742215 ईमेल-वन्यजीव@forest.uttarakhand.gov.in

पत्रांक 568 / 12-1

देहरादून

दिनांक- 16 सितम्बर, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग,
हल्द्वानी।

विषय:-

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत स्थित शारदा नदी में 384.69 हे० क्षेत्र में चुगान कार्य प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक-630/12-1 दिनांक 14.9.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लगाई गई आपत्ति के निराकरण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के द्वारा संदर्भित पत्र के साथ संलग्नक के रूप में उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र को अधोहस्ताक्षरों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जाता है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

नवनील

16/9

(डा० सनीर सिन्हा)

प्रमुख वन संरक्षक(वन्यजीव) /
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,

उत्तराखण्ड।

16/9/22

16/9/22

परियोजना का नाम:- जनपद-चम्पावत के अन्तर्गत शारदा नदी से उप खनिज चुगान हेतु 384.00 है० क्षेत्र का उत्तराखण्ड वन निगम का हस्तान्तरण।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चम्पावत अन्तर्गत शारदा नदी में 384.00 है० क्षेत्रफल में प्रस्तावित उप खनिज चुगान का क्षेत्र दुधवा-लग्गा-बग्गा टाडगर कार्गडार न 3 किमी. (हवाई दूरी 1.6 किमी.) पर स्थित है। इस क्षेत्र में उप खनिज चुगान हान न वन्य जीवों के विघरण/वास स्थल पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।



(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी



(दाबू लाल)
प्रमाणीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी



प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक
उत्तराखण्ड